राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का २६वां दिवस [संख्या १५

सोमवार, १० मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह १०.८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण, १९५८-५९ का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री वित्त मंत्री।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, मैं १९५८-५९ का बजट प्रस्तुत करने के लिये आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ।

२. गत साधारण चुनावों के तुरन्त बाद ही पिछले मई मास में हम चालू वर्ष के बजट अनुमानों पर विचार करने के लिए मिले थे। आज हम अगले वर्ष के कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। आप जानते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष का आरम्भ आर्थिक तथा रुपये पैसे की तंग स्थिति के साथ हुआ। देश के सामने विदेशी विनिमय की तथा खाद्य-पूर्ति की आन्तरिक समस्याएं खड़ी हो गई थीं जिनके फलस्वरूप हमारी विकास योजनाओं की प्रगति में कुछ हद तक बाधा पड़ी और चीजों के भाव भी ऊंचे चढ़ गये। अतः रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि वे सार्वजनिक ऋण न लें। परन्तु अब संतोष की बात है कि देश की आर्थिक प्रवृत्तियों में सुधार के लक्षण प्रगट होने लगे हैं जिससे अगले वर्ष में हमें निराशाजनक स्थिति की आशंका नहीं है।

३. हमारा आदर्श देश में समाजवादी समाज-व्यवस्था स्थापित करना है। एक प्रकार से यह आदर्श कोई नया नहीं है। जब से हमारे राष्ट्र में विदेशी शासन की बेड़ियां काट कर स्वाधीनता प्राप्त करने की चेतना उत्पन्न हुई तभी से हमारा बुनियादी ध्येय ऐसा समाज निर्माण करने का रहा है जिसमें जीवन के सारे क्षेत्रों में निजी लाभ के ऊपर सामाजिक लाभ को तरजीह दी जाय।

४. स्वाधीनता के बाद सरकार की नीति में जोर इस बात पर रहा है कि हमारा आर्थिक विकास वेग से किन्तु सन्तुलित रूप से किया जाय। प्रथम पंचवर्षीय योजना इस दिशा में एक प्रारम्भिक कदम थी। उसके कार्यक्रमों की मंशा यह थी कि स्वाधीनता के बाद जो अत्यावश्यक समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं उनका समाधान किया जाय।

५. द्वितीय योजना के कार्यक्रम तैयार करने में सर्वोपरि यह ध्यान रखा गया है कि उत्पादन में, विनियोजन में तथा रोजगार में और भी अधिक वृद्धि की व्यवस्था की जाय। इसका आन्तरिक ध्येय यही है कि हमारे

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

आदर्श की प्राप्ति के राष्ट्रीय प्रयास में उल्लेखनीय प्रगति की जा सके।

६. १६५८-५६ का यह वर्ष द्वितीय योजना का तीसरा वर्ष होगा। इसलिए १६५८-५६ के अनुमानों में पहले दो वर्षों की उपलब्धियों की तो झलक होगी और तीसरे वर्ष के लिए अंगीकृत कार्यों के निमित्त आवश्यक धन की व्यवस्था की गई है। बजट अनुमान तैयार करने में इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है कि विकास कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उपलब्ध साधनों तथा नये करों के द्वारा धन की व्यवस्था कैसे की जाय।

७. लेकिन इन अनुमानों की चर्चा करने से पहले मैं कुछ उन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका राज्य की वित्तीय स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योग रहा है।

८. राज्यों के पुनर्गठित नक्शे में क्षेत्रफल के लिहाज से भारत के सब से बड़े राज्यों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। भौगोलिक रचना की विविधता के अलावा इस राज्य को कई अन्य समस्याओं से भी निबटना है। उनमें मुख्य समस्याएं ये हैं: शांति व सुव्यवस्था बनाये रखना, समय समय पर अकालों का पड़ना, यातायात और संचार साधनों का अभाव, सिंचाई की सुविधाओं की कमी, पीने का पानी, शिक्षा व चिकित्सा की सुविधाएं जैसी सामाजिक सेवाओं का निम्न स्तर, बिजली की कमी इत्यादि। राज्य में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है परन्तु कुछ प्रतिकूलताओं के कारण खनिज व अन्य साधनों से पूरा लाभ उठाना अब तक सम्भव नहीं हो पाया है।

६. फैडरल वित्तीय एकीकरण, प्रशासनिक पुन:संगठन, प्रथम वित्त आयोग का निर्णय, जागीर उन्मूलन, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, १६५६ में राज्यों का पुनर्गठन तथा द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशें—इन सब का राज्य के वित्तीय ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण योग रहा है। फैडरल वित्तीय एकीकरण ने राज्य की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन कर दिया है। प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण अतिरिक्त खर्च बहुत बढ़ गया है। प्रथम वित्त आयोग के निर्णय के फलस्वरूप राज्य को प्रतिवर्ष लगभग २.८ करोड़ की अतिरिक्त धन-राशि प्राप्त होती रही, परन्तु यह प्रत्येक वर्ष में कुछ घटती-बढ़ती रही है। जागीर उन्मूलन भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है और इसके फलस्वरूप राज्य के राजस्व में और भी वृद्धि हुई है। किन्तु खिराज आदि बन्द होने से राजस्व में कमी होने के अलावा इन मदों में खर्च भी काफी बढ़ा है: मुआवजों तथा पुनर्वास अनुदानों का भुगतान, ऋण-पत्रों पर ब्याज, जागीर विभाग की राज्यव्यापी प्रशासनिक व्यवस्था, भू-अभिलेख कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, भूमापन व्यवस्था की क्रियाओं पर खर्च, जागीर कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन (पेन्शन) तथा आनुतोषिक (ग्रेचुइटी) इत्यादि।

१०. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो विकास कार्यक्रम पूरे किये गये उनके परिणामस्वरूप आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों के विकास सहित विभिन्न दिशाओं में काफी प्रगति सम्भव हुई, परन्तु राजस्व साधनों में कुछ ठोस वृद्धि नहीं हो पाई। राज्य सरकार को अन्तर्राज्य पारनयन-शुल्क हटाना पड़ा और उसके स्थान पर बिक्री कर लगाना पड़ा जिसके फलस्वरूप पहले वर्ष में लगभग ढाई करोड़

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

रुपये का शुद्ध घाटा रहा। प्रथम योजना के लिए अतिरिक्त आवर्तक खर्च, जो अंगीकार किया जा चुका है, २ करोड़ रुपये के लगभग है।

११. १९५६ में राज्य पुनर्गठन की योजना क्रियान्वित हुई। अजमेर चूंकि घटत वाला क्षेत्र था, इसलिए केन्द्रीय सरकार को राजस्व आय तथा व्यय का सारा अन्तर पूरा करना पड़ता था और सारे पूंजीगत खर्च की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अजमेर से सम्बन्धित राजस्व की घटत १५० लाख रुपये के लगभग होती है। संविधान के अनुच्छेद २८० के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति की दिनांक १ जून, १९५६ की आज्ञा के द्वारा द्वितीय वित्त आयोग नियुक्त किया गया था। जैसा कि मैंने सदन को अपने गत वर्ष के भाषण में बताया था। राज्य की वित्तीय अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं के बारे में एक विस्तृत ज्ञापन इस आयोग को प्रस्तुत किया गया था। विभिन्न राज्यों के ज्ञापनों पर तफसील के साथ विचार करके आयोग ने अब अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया है। केवल केन्द्रीय ऋणों के चुकारे सबंधी सिफारिश मंजूर नहीं की गई है, परन्तु यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। अन्य राज्यों की भांति हमने भी इस संबंध में भारत सरकार को लिखा है और हमें आशा है कि यह सिफारिश भी मान ली जायेगी।

१२. राज्य को इससे मिलने वाले फायदे संक्षेप में इस प्रकार हैं:—

	प्रथम वित्त आयोग ५६–५७	५७–५८ के लिये अनुमान द्वितीय वित्त आयोग	अतिरिक्त फायदे
		(लाखों में)	
१. आयकर तथा संघीय आबकारी कर का हिस्सा	२९५.१५	४२५.००	१३९.५८
२. सहायक अनुदान	२३.८०	२५०.००	२२६.२०
३. ऊपर की रकमों के अलावा केन्द्र द्वारा वसूल किये जाने वाले रेलभाड़ा कर में राजस्थान का अनुमानित हिस्सा	... .	१०९.००	१००.००

१३. ब्याज प्रभार में कुछ कमी हो जायगी परन्तु दुर्भिक्ष सहायता कोष में २० लाख के बढ़े हुए अंशदान के कारण इसका असर बहुत कम रह जाता है। ये गणनाएं द्वितीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन में दिये हुए आंकड़ों पर आधारित हैं। ये आंकड़े हर साल ऊंचे नीचे होते रहेंगे।

१४. राष्ट्रपति ने वित्त आयोग से कहा था कि वह यह भी निर्धारित करे कि मिल के कपड़ों, चीनी व तम्बाकू (तम्बाकू की बनी हुई वस्तुओं सहित) पर बिक्री कर के स्थान में लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों से प्राप्त होने वाली आय का राज्यों में बटवारा किस ढंग से किया जाय।

१५. प्रत्येक राज्य द्वारा वसूल किये गये राजस्व के आंकड़ों पर गौर करके वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की शुद्ध आय में से आयोग द्वारा निर्धारित वह रकम, जो उक्त तीन वस्तुओं पर बिक्री कर से प्राप्त वर्तमान आय के बराबर हो, विश्वस्त कर दी जाय और यदि कुछ रकम बाकी बचे तो वह आयोग द्वारा प्रत्येक

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

राज्य के लिए निश्चित प्रतिशत के अनुसार बांट दी जाय । राजस्थान के लिए जो रकम निश्चित की गई है वह ६० लाख रुपया प्रति वर्ष है । उक्त तीन वस्तुओं से संबंधित बाकी रकम का प्रतिशत राजस्थान के लिए इस प्रकार है :—

मिल का कपड़ा	४.३६
चीनी	४.८१
तम्बाकू	३.५६

१६. इस सिफारिश पर गत १४ दिसम्बर, १६५७ से अमल किया गया ।

१७. राज्यों की अपेक्षाओं का अन्दाज लगाते समय आयोग ने उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जिसकी व्यवस्था मुआवजा, पुनर्वास अनुदान आदि के रूप में जागीरदारों को भुगतान के लिए आवश्यक है । आयोग का यह मत है कि ऋण प्रभार को छोड़कर जमींदारी उन्मूलन के मुआवजे की रकम की व्यवस्था राजस्व लेखे से बाहर की जानी चाहिए ।

१८. शोधन निधि द्वारा ऋण उतारने के बारे में आयोग ने यह मत व्यक्त किया है:

"कुछ राज्यों में यह प्रचलन रहा है कि शोधन निधि द्वारा ऋण उतारने के लिए राजस्व बजट में बड़ी बड़ी रकमों की व्यवस्था की जाती है । हम राजस्व में से इस प्रकार ऋण उतारने के पूरी तरह पक्ष में हैं, बशर्ते कि उसका भुगतान वास्तविक राजस्व अधिशेष से किया जाय । परन्तु किसी भी राज्य में ऐसा अधिशेष नहीं है ।"

१६. अत: आयोग की अन्तिम सिफारिश यह है कि शोधन निधि द्वारा ऋण उतारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए । आयोग ने राज्यों के सार्वजनिक ऋण के संचलन के लिए एक योजना प्रस्तुत की है । जहां तक केन्द्रीय ऋणों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों के लिये यह आवश्यक है कि वे ऋण प्रभार अदा करें और इसके लिये भी एक युक्तियुक्त ढांचे का सुझाव दिया गया है । भारत सरकार ने ऋण प्रभार को युक्तियुक्त करने के बारे में आयोग की सिफारिश कुछ रूपान्तरों के साथ स्वीकार कर ली है । इसके परिणामस्वरूप वित आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रत्याशित राहत कम हो गई है । कुल मिलाकर वित आयोग के निर्णय का परिणाम यह हुआ है कि राज्य के राजस्व साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इस अवसर पर मैं आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी कठिनाइयों को पहचान लिया ।

२०. एक तथ्य और भी है जिसका विशेष रूप से जिक्र करना आवश्यक है । फरवरी १६५७ में राज्य सरकार ने मैसूर के अवकाश प्राप्त दीवान श्री एन. माधवराव की अध्यक्षता में एक वित्त जांच समिति नियुक्त करने का निश्चय किया जिसके निर्देशित विषय थे:-

१. राज्य में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति की तथा उसके लिए उपलब्ध साधनों की समीक्षा करना,

२. संविधान के अन्तर्गत राज्य के दायित्वों के प्रसंग में उत्तरोत्तर बढ़ने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व के वर्तमान साधनों की पर्याप्तता की जांच करना,

३. यह जांच करना कि राजस्थान की वर्तमान कर-आरोपण प्रणाली कहां तक

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

युक्तियुक्त तथा न्यायसंगत है और करारोपण जांच आयोग द्वारा अनुमोदित प्रणाली के अनुसार इसमें आवश्यक रूपान्तर सुझाना,

४. सरकारी व्यय में जो मितव्ययता संभवत: की जा सकती हो उसके बारे में सुझाव देना,

५. राज्य की सार्वजनिक ऋण संबंधी स्थिति की समीक्षा करना, विशेषतया भारत सरकार से लिये गये अग्रिमों का राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करना।

२१. समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है और उसका अंतिम निश्चित प्रतिवेदन शीघ्र ही आने की आशा है। समिति की सिफारिशों तथा उन पर की जाने वाली कार्यवाही से सदन को यथा समय अवगत कराया जायेगा।

२२. भूमिका के रूप में इतनी जानकारी देकर अब मैं बजट संबंधी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में बताऊंगा।

२३. आगामी वर्ष के बजट अनुमान तैयार करते समय साधारणतया गत दो वर्षों की वित्तीय क्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है और चालू वर्ष के कार्यों की समीक्षा की जाती है । १ नवम्बर, १९५६ से राज्यों का पुनर्गठन प्रभावशील होने के कारण १९५५-५६ के वास्तविक आंकड़ों से कोई विशेष मदद नहीं मिलती । १९५६–५७ वर्ष के लेखे दो भागों में तैयार किये गये थे, एक तो १ अप्रैल,१९५६ से ३१ अक्टूबर, १९५६ तक के तथा दूसरे १ नवम्बर, १९५६ से ३१ मार्च, १९५७ तक के । पहले भाग से तो प्राक्-पुनर्गठित राजस्थान राज्य के बजट अनुमानों की स्थिति का ज्ञान होगा तथा दूसरा भाग पुनर्गठित राजस्थान राज्य की ५ माह की अवधि से संबंध रखता है ।

२४. दोनों भागों को मिला कर देखने से यह चित्र सामने आता है :—

राजस्व से प्राप्तियां	२,३७५.३१ लाख
राजस्व पर व्यय	२,७१८.५६ लाख
राजस्व लेखे में घटत	३४३.२८ लाख
पूंजीगत व्यय	६५७.५४ लाख

२५. अजमेर क्षेत्र के विषय में ५ महीने की आर्थिक सहायता की हमारी अधियाचना को भारत सरकार ने १९५६–५७ वर्ष में स्वीकार नहीं किया था । तथापि उस अवधि के निमित्त हमारी ६० लाख की मांग के मध्य ३१ लाख की सहायता चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है । यदि यह रकम पिछले वर्ष मिल गई होती तो उससे घटत में कमी होने में मदद मिलती ।

२६. १९५७–५८ का वर्ष पुनर्गठित राजस्थान राज्य की वित्तीय क्रियाओं का पूरा नक्शा प्रस्तुत कर देता है । मूलत: १९५७–५८ की राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमान २९३८.३३ लाख रुपये के माने गये थे जिनमें विकास योजनाओं के लिये भारत सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता के २३२.६६ लाख रुपये भी शामिल थे । राजस्व लेखे से होने वाले व्यय के अनुमानों का कुल योग, जिसमें आयोजन सम्बन्धी योजनाओं के ५३४.४१ लाख रुपये शामिल हैं, ३२१८.६४ लाख रुपये होता है । इस प्रकार २८०.६१ लाख की राजस्व घटत पहले ही मान ली गई थी । पूंजीगत व्यय के कार्यक्रम का अनुमान १७११.३२ लाख रुपये लगाया गया था

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

जिसमें १६३५.१८ लाख तक के आयोजन सम्बन्धी व्यय की व्यवस्था की गई थी।

२७. वर्ष के प्रारम्भिक नौ महीनों के वास्तविक आंकड़ों की प्रगति के आधार पर और वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त साधनों तथा बाकी के तीन महीनों की संभाव्य प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, राजस्व प्राप्तियों के संशोधित अनुमानों का हिसाब ३०६६.४० लाख रुपये बैठता है जिसमें आयोजन सम्बन्धी योजनाओं के लिए मिलने वाली सहायता के २०६.७६ लाख रुपये शामिल हैं। जिन मुख्य शीर्षकों के नीचे वृद्धियां दिखाई गई हैं वे हैं: संघीय उत्पादन शुल्क–८२.८७ लाख रुपये (इसमें विभाज्य पूल से मिलने वाले परिवर्धित हिस्से के ४८.३७ लाख रुपये हैं तथा कपड़ा, चीनी व तम्बाकू पर लगाये गये अतिरिक्त करों के हिस्से के ३४.५० लाख रुपये हैं) कार्पोरेशन कर व मृत्यु कर–७२.६८ लाख रुपये (वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आयकर के आगमों का परिवर्धित हिस्सा, कृषि आयकर के लिए ४ लाख रुपये की कमी की गुंजाइश रखते हुए) ; रेल भाड़े पर कर–३२.५६ लाख रुपये ; वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत, राज्य आबकारी कर–३५ लाख रुपये (शुल्कों में वृद्धि के फलस्वरूप, तथा तस्कर विरोधी दल के छापों द्वारा व प्रशासनिक तन्त्र को कसने के अन्य उपायों द्वारा अवैध रूप से शराब बनाने की रोकथाम के फलस्वरूप); स्टाम्प्स ७ लाख रु.; पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)-२ लाख रुपये; गाड़ियों पर कर–३ लाख रुपये; सिंचन (वाणिज्यिक) १.३५ लाख रुपये; ब्याज-४ लाख रुपये; न्याय प्रशासन–१.८३ लाख रुपये; पुलिस–२ लाख रुपये; शिक्षा–५.२४ लाख रुपये (इसमें बढ़ोतरी और घटोतरी होती रही है, बढ़ोतरी का कारण है–अध्यापकों के वेतन में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सहायता); सार्वजनिक स्वास्थ्य–४.१६ लाख रुपये (देहाती जल प्रदाय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता को पूंजीगत शीर्षक से इस शीर्षक में लाने के कारण); बहुप्रयोजन नदी योजनाओं से प्राप्तियां–१.५५ लाख रुपये (वास्तविक आंकड़ों पर आधारित); केंद्रीय सरकार से सहायक अनुदान–१२४.२५ लाख रुपये वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राजस्व कमी अनुदान में वृद्धि के कारण)।

२८. कुछ शीर्षकों में घटोतरियां दिखाई गई हैं। जिन शीर्षकों में काफी घटोतरियां हुई हैं वे ये हैं:—

भू राजस्व	४२.०० लाख रु०
सिंचन (अवाणिज्यिक)	२०.०० ,,
उद्योग तथा रसद	६८.००
विविध विभाग	१०.६४ ,,
नागरिक निर्माण कार्य	३०.३६ ,,
बिजली योजनाओं से प्राप्तियां	२७.५० ,,
विविध	२४ ६८ ,,
असाधारण प्राप्तियां	३०.६७ ,,
सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं तथा स्थानीय विकास कार्यों के हिसाब में प्राप्तियां	१६.६६ ,,

२९. भू–राजस्व के अधीन कमी का कारण यह है कि प्रत्याशित सीमा तक बकाया वसूल नहीं हुई और कुछ भागों में अनावृष्टि तथा कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि के परिणामस्वरूप अभाव की स्थिति घोषित करनी पड़ी।

३०. सिंचन के अधीन कमी का कारण यह तथ्य है कि सिंचन का पूर्ण विकास न

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

होने से विभागीय अनुमानों के अनुसार कार्य नहीं किया जा सका तथा नवीन और पुराने क्षेत्रों में मतालबों के एक अंश की वसूली न की जा सकी। अनुसंधान करने पर पता लगा कि नवीन क्षेत्रों में बढ़ी हुई दरों पर सिंचन शुल्क देने में लोग आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि समीपस्थ पुराने क्षेत्रों में इस शुल्क की दरें कम हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सिंचन दरों को युक्तियुक्त बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा।

३१. उद्योग और रसद के अधीन कमी मुख्यतः सोडियम सल्फेट की प्राप्तियां बन्द होने के कारण हुई हैं क्योंकि इसके जखीरे समाप्त हो गये हैं। जिन जखीरों की अभी तक खोज नहीं हो पाई है उनके पूर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

३२. विविध विभागों के शीर्षक को आकलनीय नागरिक रसद विभाग सम्बन्धी १० लाख रु० तक के बकाया मतालबों की वसूली नहीं हुई है। नागरिक रसद के मतालबों की वसूली तो हुई है लेकिन यह राशि खाद्यान्नों के मूल्य की वापसी के कारण "८५–का राज्य व्यापार योजना" शीर्षक के अधीन आकलित कर दी गई है।

३३. नागरिक निर्माण कार्यों के अधीन कमी सरकारी सम्पत्तियों, विशेषकर दिल्ली के भवनों के किरायों के सम्मत अभिनिर्धारण में विलम्ब होने के कारण हुई है। भारत सरकार ने हमारे अभिनिर्धारण को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए उनसे वसूली होने में विलम्ब हो गया है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राज्य तथा सामरिक महत्व की सड़कों पर कम व्यय होने के कारण भारत सरकार से प्राप्य सहायक अनुदान की राशि भी कम हो जायेगी।

३४. विद्युत शक्ति योजनाओं से प्राप्तियां के अन्तर्गत कमी मुख्यतः इस कारण हुई है कि प्रत्याशित मात्रा में बकाया वसूल नहीं हुई।

३५. विविध के अधीन कमी विस्थापितों की सहायता तथा पुनर्वास पर व्यय के मतालबों की भरपाई में विलम्ब के कारण हुई हैं तथा अन्य उप–शीर्षकों के अधीन भी कमियां हुई हैं। बहुत से मद आपत्तियुक्त पड़े हुए हैं और उनके शीघ्र समायोजन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

३६. असाधारण प्राप्तियों के अधीन कमी मुख्यतः सुधार शुल्क (Betterment Levy) कतई वसूल न होने के कारण हुई है। सुधार शुल्क के अभिनिर्धारण की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जा रहा है जिससे १९५८—५९ में वसूली करना सम्भव हो जायगा।

३७. सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्यों के अधीन कमी भारत सरकार द्वारा भरपाई की वर्तमान पद्धति के कारण हुई है। वैसे बहुत भारी धन राशि खर्च की जा चुकी है और हमारे मतालबों की रकम भी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन चूंकि भरपाई छः महीने बाद की जाती है इसलिए काफी बड़ी रकमें बकाया रह जाती हैं। नवम्बर १९५७ में नई दिल्ली में हुए वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी वर्ष से केन्द्रीय सहायता नियमित रूप से प्राप्त होने की आशा की जाती है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

३८. अन्य शीर्षकों के अधीन कमी विकास योजनाओं की मन्द प्रगति के कारण हुई है और इसलिए प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की रकम भी कम हो जायगी।

३९. व्यय के खाते में भी कुछ शीर्षक हैं जिनके नीचे बड़ी बड़ी बढ़ोतरियां दिखायी गई हैं और जिनके लिए अनुपूरक मांगें भी प्राप्त की गई थीं। ये शीर्षक हैं:—

भू-राजस्व	३५.३५ लाख रु०
राज्य आबकारी कर	४.०० ,,
वन	१.३२ ,,
अन्य कर तथा महसूल	७.०३ ,,
ऋण तथा राज्य के दायित्वों पर ब्याज	२.२८ ,,
सामान्य प्रशासन	१८.३५ ,,
पुलिस	१०.०४ ,,
जन स्वास्थ्य	६.२३ ,,
विविध विभाग	६.६२ ,,
बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धित अन्य राजस्व व्यय	१.५६ ,,
दुर्भिक्ष	२२.७७ ,,
अधिवार्षिकी भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	२.०० ,,
विविध	१४.२१ ,,
साधारण राजस्वों से दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों का एक मुश्त भुगतान	१.१४ ,,

४०. कुछ शीर्षकों में घटोतरियां भी हुई हैं; उदाहरणार्थ ऋण कम करने या ऋण से बचने के निमित्त :

विनियोग	६.७० लाख रु०
चिकित्सा	१२.६६ ,,
कृषि	११.७५ ,,
सहकारिता	७.३६ ,,
उद्योग व रसद	२५.४० ,,
नागरिक निर्माण कार्य	२१ ०४ ,,
विद्युत शक्ति योजनाओं की पूंजीगत लागत पर ब्याज	२.६२ ,,
राजस्व से अर्थ प्रबन्धित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लागत	१६.४२ ,,
लेखन सामग्री व मुद्रण	३.८६ ,,
सामुदायिक विकास योजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य	१४.८८ ,,

इनमें से अधिकांश शीर्षकों के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी व्यय कम हुआ है और इसके कारण विकास योजनाओं के निमित आर्थिक सहायता में भी कमी हुई है।

४१. भू-राजस्व के अधीन वृद्धि मुआवजे के भुगतान के लिए अपेक्षित बढ़े हुए प्रावधान के कारण हुई है। राज्य आबकारी करों के अधीन शराब की अवैध भट्टियों पर तथा इसके तस्कर व्यापार पर रोकथाम के फलस्वरूप शराब की खपत में वृद्धि होने के कारण इसकी अधिक खरीद के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ा है।

४२. भू राजस्व के अन्तर्गत बढ़ोतरी मुआबजा भुगताने के लिए अपेक्षित बढ़े हुए प्रवधान के कारण हुई है।

४३. वन के अर्न्गत रोशनी व पानी के प्रभारों की बकाया चुकाने के लिए तथा यात्रा भत्तों पर अधिक खर्च के लिए बढ़ी हुई धन राशि की आवश्यकता है।

४४. अन्य करों और महसूलों के अन्तर्गत बढ़ी हुई निर्धारित रकम की आवश्यकता जागीरदारों को आबकारी के मुआवजे भुगताने के लिये है तथा नाकेदारों आदि को एकीकृत

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वेतन दरों में स्थिर किये जाने से उनकी बकाया चुकाने के लिए है।

४५. ब्याज की मद में थोड़ी सी बढ़ोतरी का कारण यह है कि अस्थायी अर्थोपाय अग्रिम के लिये अधिविकर्ष लेखे पर स्टेट बैंक को ब्याज की अधिक रकम चुकानी पड़ी है।

४६. सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाली वृद्धियां:-(१) राज्यपाल-मोटरगाड़ियों की खरीद, सज्जा के लिए अनुदान; चिकित्सा भत्ते; कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि; (२) निर्वाचन-गत निर्वाचनों में बढ़े हुए दायित्व के भुगतान के लिए; (३) सचिवालय-कर्मचारी वर्ग तथा अन्य खर्च में वृद्धि; (४) लोक सेवा आयोग-परीक्षाओं तथा विज्ञापनों के खर्चों तथा अस्थायी कर्मचारीवर्ग में वृद्धि के कारण; (५) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-कर्मचारी-वर्ग में वृद्धि; (६) आयुक्त-वेतन दरों के संशोधन के फलस्वरूप बकाया भुगतान के कारण; (७) जिला प्रशासन-स्थापनाओं पर, विशेषकर तहसीलों में बढ़ा हुआ व्यय।

४७. पुलिस संबंधी विभिन्न मदों के अधीन खर्च में वृद्धि तथा भ्रष्टाचार निरोध विभाग पर अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की गई है।

४८. जन-स्वास्थ्य के अधीन, इन्फ्लुएन्जा महामारी पर अधिक व्यय तथा जलदाय गृह के संधारण पर अधिक व्यय के कारण संशोधित अनुमानों में अधिक धन-राशि की व्यवस्था की गई है।

४६. विविध विभागों के अधीन वृद्धि मुख्यतः समाज कल्याण की केन्द्र चालित योजनाओं को शामिल करने के कारण हुई है जिनके लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं रखी गई थी।

५०. बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धित अन्य राजस्व व्यय के अधीन वृद्धि का कारण है नहरों के संधारण व स्थापना प्रभार के लिए अधिक धन-राशि की व्यवस्था।

५१. दुर्भिक्ष की मद में २२.७७ लाख रुपये की वृद्धि हुई है जिसमें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दुर्भिक्ष सहायता निधि को अंशदान की रकम में २० लाख रुपये की वृद्धि सम्मिलित है।

५२. अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन के अधीन वृद्धि वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित है।

५३. विविध शीर्षक में वृद्धि का कारण केवल वह पुस्त-समायोजन है जिसके द्वारा नामे लिख कर कुछ मदों को इस शीर्षक में रख दिया गया है तथा साथ ही उन्हें सार्वजनिक लेखे में जमा कर लिया गया है।

५४. साधारण राजस्व से अर्थ-प्रबन्धित निवृत्ति वेतनों की एक मुश्त अदायगी के अधीन वृद्धि इस कारण हुई है कि पहले जो व्यय पूंजी लेखा में विकलित होता था वह बदल कर इस शीर्षक में रख दिया गया है।

५५. संशोधित अनुमानों के आंकड़ों से १५५.६२ लाख रुपये की घटत परिलक्षित होती है। यह तीन महीनों में व्यय की प्रगति पर निर्भर है। संभावना यह है कि वास्तविक घटत इस आंकड़े से कम होगी।

५६. राजस्व लेखे से बाहर पूंजीगत व्यय का कुल कार्यक्रम १५,३६.६८ लाख

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

रुपये का बनाया गया है जिसमें से १४४१.२५ लाख की राशि योजना से सम्बन्ध रखती है।

५७. आगामी वर्ष के बजट अनुमान तैयार करने में, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, १९५६-५७ के वास्तविक आंकड़ों तथा १९५७-५८ के संशोधित अनुमानों के अलावा जिन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखा गया है वे ये हैं :—

१. राजस्व में घटत बचाने के लिये वित्त आयोग की सलाह,

२. अंगीकृत व्यय में अपरिहार्य वृद्धि,

३. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की आवश्यकता,

४. १९५८-५९ के लिये आयोजना आयोग द्वारा निर्धारित योजना की लागत,

५. बजट वर्ष की आयोजन सम्बन्धी अधिकतम राशियां निश्चित करते समय आयोजना आयोग द्वारा साधनों का अभिनिर्धारण,

६. अतिरिक्त कर-आरोपण की गुंजाइश।

५८. अनुमानित प्राप्तियों का कुल जोड़ ३३९३.९१ लाख रुपये होता है जिसमें विकास योजनाओं के निमित्त भारत सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता के २९३.५१ लाख रुपये तथा अतिरिक्त कर-आरोपण से वसूल किये जाने वाले ८० हजार रुपये की रकमें शामिल हैं। भू-राजस्व, राज्य आबकारी कर, अन्य कर व महसूल, ग्राम विकास, बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं से प्राप्तियां आदि कुछ शीर्षकों के सिवाय अन्य सब शीर्षकों में बढ़ोतरियां दिखाई गई हैं। स्थिति में इस सुधार के कारण ये हैं: राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि, विकास योजनाओं के निमित्त आर्थिक सहायता का शामिल किया जाना, केन्द्रीय करों से प्राप्त परिवर्धित अंश तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजस्व की कमी को पूरा करने के लिये सहायक अनुदान की राशि में बढ़ोतरी। भू-राजस्व के अन्तर्गत प्रस्तावित राशि कुछ क्षेत्रों में अभाव की स्थिति होने के कारण घटा दी गई है। राज्य आबकारी करों में २० लाख की कमी दिखाई जानी चाहिए थी क्योंकि अफीम की खपत कम करने की अखिल भारतीय नीति के अनुरूप अफीम की मात्रा घटेगी, परन्तु इस कमी में १५ लाख रुपये तक की पूर्ति इस कारण से हो जायेगी कि कर-आरोपण के नये उपायों के अन्तर्गत दरों में बढ़ोतरी करने का इरादा है। चालू वर्ष में शराब की खपत में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि अवैध शराब बनाना कुछ रोका जा सका है। पर साथ ही जनता में यह भावना बढ़ती जा रही है कि शराब पीने की आदत को रोकने के लिये भी कदम उठाये जाने चाहिए। लोगों को शराब की हानियां बता कर समाज इस दिशा में बहुत कुछ कर सकता है, परन्तु सरकार की भी नीति होनी चाहिए कि शराब पर कर बढ़ा कर इसकी खपत कम कराये। अतः समाज कल्याण विभाग के बजट में इस प्रचार के लिए व्यवस्था की गई है, विशेषतया उन क्षेत्रों में प्रचार के लिये जहां अनुसूचित जातियां तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियां बसती हैं। अन्य करों व महसूलों में कमी इस कारण से है कि बिक्रीकर की प्राप्तियों का द्योतक एक नया शीर्षक "१२ क" खोल दिया गया है। ग्राम विकास के अन्तर्गत कोई प्राप्तियां नहीं होतीं। यह तो नाममात्र का शीर्षक है। बहु-प्रयोजन नदी योजनाओं के अन्तर्गत कमी इस कारण से है कि परियोजनाओं का विद्युत

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सम्बन्धी भाग विद्युत बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदानों के अन्तर्गत कमी इस कारण हुई है कि कम वेतन भोगी कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते पर अतिरिक्त व्यय के लिए आर्थिक सहायता इस शीर्षक से बदल कर "विविध" प्रधान शीर्षक में डाल दी गई है।

५९. राजस्व लेखे पर व्यय की कुल राशि ३३७४.४१ लाख रुपये होती है। वेतन क्रमों में संवृद्धि से व्यय में जो अनिवार्य बढ़ोतरी हुई है, उसके अलावा मुख्य बढ़ोतरी आयोजन सम्बन्धी योजनाओं पर प्रस्तावित व्यय में हुई है। १९५७-५८ के बजट के ५३४.४१ लाख रुपये के मूल अनुमानों तथा ४९३.८० लाख रुपये के संशोधित अनुमानों के मुकाबले में आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में ६३४.४४ लाख रुपये की व्यवस्था शामिल की गई है। चिकित्सा के बजट में औषधियों, भेषजों तथा अन्य सरंजाम के लिए अधिक राशि की व्यवस्था की गई है। सड़कों व भवनों के संधारण व मरम्मत की धन-राशि भी बढ़ा दी गई है। पुलिस के अन्तर्गत अधिक धन राशि की व्यवस्था विशेषतया इसलिए की गई है कि जवानों को अधिक रियायतें दी गई हैं तथा भ्रष्टाचार निरोध के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है। अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत भी बढ़ोतरिया की गई हैं। इन बढ़ोतरियों तथा घटोतरियों की व्याख्यायें स्पष्टीकारक स्मरण पत्र में दी हुई हैं।

६०. व्यय अनुमानों सम्बन्धी एक विशेष बात यह है कि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जागीरदारों को मुआवजे तथा पुनर्वास अनुदानों के भुगतान के लिये प्रावधान पूंजीगत बजट में स्थानान्तरित कर दिया गया है। तथापि इस पूंजीगत दायित्व को अन्ततः चुकाने के लिये शोधन निधि का सृजन आवश्यक है। इस निधि में अंशदान हेतु आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में १०० लाख रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। जागीर बॉन्ड्स पर देय ब्याज प्रभार राजस्व लेखे से देने पड़ेंगे। अतः इस प्रयोजनार्थ "२२-ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज", के प्रधान शीर्षक के अन्तर्गत ५० लाख का प्रावधान किया गया है।

६१. सरकारी कार्यालयों पर व्यय में, विशेषकर आयोजना सम्बन्धी कार्यक्रमों के कारण काफी बढ़ोतरी हुई है। वित्त जांच समिति ने भी यथासम्भव सीमा तक प्रशासकीय व्यय को कम करने की आवश्यकता का संकेत किया है। अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में उन्होंने मितव्ययता की गुंजाइश का दिग्दर्शन भी कराया है। तदनुसार मितव्ययता समिति तफसीलों पर विचार कर रही है। समिति द्वारा दिये गये प्रायोगिक आंकड़ों के अनुसार १९५८-५९ में ३० लाख तक का संभाव्य मितव्यय किया जा सकता है। अतः संभाव्य मितव्ययताओं के लिये ३० लाख रु० की कटौती कर दी गई है। यह कटौती सम्बन्धित प्रधान शीर्षकों के अन्तर्गत पृथक रूप से दिखाई गई है।

६२. प्राप्तियों के अन्तर्गत ३३९३.९१ लाख के अनुमान के मुकाबले में, राजस्व से देय व्यय का अनुमान ३२२४.४१ लाख आता है; जिसमें जागीरदारी उन्मूलन की रकम के अंशदान के लिये १५० लाख रु. शामिल नहीं हैं। अधिशेष १६९.५० लाख आता है। मुआवजे तथा पुनर्वास अनुदानों

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

के लिये १०० लाख रु० तथा बोर्ड्स पर ब्याज प्रभार के लिये ५० लाख रु० का विनियोग करने के पश्चात् शुद्ध अविशेष १९.५० लाख रु० आता है।

६३. १९५८–५९ में पूंजी लेखे पर व्यय का अनुमान १६५८.६५ लाख का है, जिसमें आयोजना सम्बन्धी योजनाओं के लिये १०१८.३८ लाख रु० तथा आयोजना की अधिकतम राशि में सम्मिलित न की गई राजस्थान नहर के लिये ३०० लाख रु. और जागीरदारों को मुआवजा देने के लिए २६० लाख रु. शामिल हैं।

६४. राजस्व, पूंजी तथा ऋण के अन्तर्गत विकास योजनाओं के लिये कुल प्रावधान २६६८.६१ लाख आता है। चालू वर्ष में आयोजन के लिये निर्धारित रकम २३४२.७४ लाख थी जिसकी अपेक्षा संशोधित अनुमान केवल २११२.४७ लाख है।

६५. प्रमुख विशेषताएं ये हैं :—

चालू वर्ष के भीतर आयोजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रावहित २३४२.७४ लाख की कुल लागत के मुकाबले में वास्तविक व्यय २११२.४७ लाख होने की आशा है। व्यय में कमी विद्युत शक्ति, लघुसिंचन, उद्योग, आवास व्यवस्था, चिकित्सा, सड़कें तथा श्रम कल्याण आदि अनुभागों में दिखाई गई है। १९५७-५८ के लिये २११२.४७ लाख के संशोधित अनुमान के मुकाबिले में १९५८-५९ के कार्यक्रम के अन्तर्गत २६६८.६१ लाख की लागत शामिल है। इसमें से अधिकांश रकम चालू योजनाओं पर खर्च की जायेगी।

६६. प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आर्थिक ढांचे के आधार को मजबूत करना था। अधिक उत्पादन तथा अधिक रोजगार पर विशेष बल दिया गया था। कार्यक्रमों में सिंचन, कृषि व विद्युत शक्ति पर पूंजी की भारी लागत सम्मिलित थी। प्रथम योजना की कुल मिलाकर सफलता यह हुई है कि जातिहीन, वर्गहीन तथा विशेषाधिकार विहीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की नींव पड़ गई है जिससे स्वाधीनता तथा लोकतंत्र सुनिश्चित हो गये हैं।

६७. दूसरी योजना की मंशा यह है कि भारत के ग्राम्य जीवन का पुनरुद्धार हो, औद्योगिक विकास की नींव पड़े तथा जन समाज के निर्बल व अल्प विकसित अंगों को यथासम्भव उन्नति का अवसर प्राप्त हो और देश के सब भागों का संतुलित विकास हो। इसी को ध्यान में रख कर हमने बजट इस तरह बनाया है कि इस लक्ष्य की पूर्ति में राज्य के आय-व्यय साधनों का उपयोग हो।

६८. भूतपूर्व अजमेर राज्य के क्षेत्र सहित राजस्थान की प्रथम योजना के निमित्त ६४५०.२६ लाख की कुल पूंजी लागत का प्रस्ताव था जिसके मुकाबले में वास्तविक व्यय ५४१४.४३ लाख हुआ। निर्धारित रकम का ८३.९ प्रतिशत व्यय हुआ। कुल निर्धारित रकम का ४६.२५ प्रतिशत सिंचन कार्यों के लिये रखा गया था। इसके बाद सामाजिक सेवाओं, विद्युत शक्ति, कृषि, सामुदायिक विकास, सड़कों तथा अन्य अनुभागों का सिलसिला था जिनके लिये कुल प्रावधान का प्रतिशत क्रमशः १७.,१ १४.८६, १०.२९, ९.७३ तथा १.७२ था।

६९. उपलब्धियों के बारे में यह कहा जा सकता है कि १९५१ के उत्पादन की तुलना में १९५६ में ३.३ लाख टन अधिक खाद्यान्न

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

का उत्पादन हुआ । प्रथम योजना के अन्त तक ३ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में वास्तविक सिंचाई होने लगी । १०२६ मील लम्बी पुरानी सड़कों के सुधार के अलावा १३०४ मील लम्बी नई सड़कें बनाई गईं । सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति हुई ।

७०. दूसरी पंचवर्षीय योजना उत्पादन बढ़ाने, जीवन निर्वाह का स्तर ऊंचा उठाने तथा बेकारी कम करने के उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ की गई है । तद्नुसार इस योजना के अन्तर्गत १०५२७.२६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । सबसे अधिक बल फिर सिंचाई पर ही दिया गया है जिसके लिये २६.७३ प्रतिशत रकम निर्धारित की गई है । कृषि तथा सामुदायिक विकास के हिस्सों की रकमें बढाकर १५.९२ प्रतिशत तथा विद्युत शक्ति के हिस्से की १८.९९ प्रतिशत कर दी गई है ।

७१. दूसरी योजना के प्रथम वर्ष में २०६५.४५ लाख रुपये की अर्थात् १९.६१ प्रतिशत रकम निर्धारित की गई थी जिसमें से १३३८.५५ लाख रुपये की अर्थात् ६४.८२ प्रतिशत रकम खर्च हुई ।

७२. १९५७-५८ में आयोजन के लिये निर्धारित रकम २१५३.६९ लाख रुपये अर्थात् राज्य आयोजन की कुल लागत का २२.४ प्रतिशत थी ।

७३. यह मानकर कि निर्धारित रकम का लगभग ९८ प्रतिशत रुपया खर्च हो जायेगा, संशोधित अनुमान २११२.४७ लाख रुपये का आता है । इसे केवल मोटा आंकडा समझना चाहिए क्योंकि सम्भव है कि इस आशा की पूर्ति के योग्य काम न हो सके । तथापि पूरी उम्मीद है कि चालू वर्ष का कार्य सम्पादन पिछले वर्ष से बहुत बढ़ चढ़ कर होगा ।

७४. भौतिक लक्ष्यों की सिद्धि का लेखा तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिया जा चुका है और मैं वही बातें दोहरा कर माननीय सदस्यों के धैर्य की परीक्षा नहीं करना चाहता ।

७५. चूंकि आयोजन का मर्मस्थल कृषि है, अतः खाद्यान्नों की पैदावार के लक्ष्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । १,६०,००० टन की अतिरिक्त उपज का अनुमान लगाया गया है ।

७६. सात राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तित करने और २८ नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड खोलने का प्रस्ताव हैं । अजमेर जिले में १९५७-५८ में एक और खंड खोला जाने के फलस्वरूप भूतपूर्व अजमेर राज्य का सारा क्षेत्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत आ गया है । पीसांगन तथा श्रीनगर खंडों में उद्योगों की पाइलेट परियोजना चल रही है । सामुदायिक विकास मंत्रालय ने पाइलोट परियोजना के इस क्षेत्र का कार्य भारत की सर्व श्रेष्ठ छः परियोजनाओं में स्थान पाने योग्य माना है । १९५७-५८ में अजमेर जिले के खंडों में फुलवाड़ियां लगाने का और लघु सिंचन का घनीभूत कार्य हुआ है । ऊंटडा तालाब का निर्माण कार्य शुरू हो गया है । गांधी सरोवर के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और निर्माण कार्य आगामी वर्ष में शुरू हो जायगा ।

७७. यह प्रत्याशा है कि आगामी वर्ष

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में ३,९६,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जायेगी।

७८. विद्युत शक्ति की मद में बिजली उत्पादन की क्षमता काफी बढ़ाई जायेगी।

७९. सड़कों के शीर्षक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये १६० लाख रुपये की रकम का प्रस्ताव है। यह संभावना है कि लगभग ३०० मील लम्बी नई सड़कें बनाई जायेंगी और ४०० मील लम्बी वर्तमान सड़कों को सुधारा जायेगा।

८०. उपर्युक्त सड़कों के अलावा, १९५८-५९ के वर्ष में अन्तर्राज्य तथा सामरिक सड़क निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण पर १७.९ लाख का खर्च किये जाने की प्रत्याशा है। केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५८-५९ के वर्ष में १९.१६ लाख रु० खर्च किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ढूंढ नदी पर पुल बनाने का काम, जो इस वर्ष आरम्भ किया गया है, चालू रहेगा और बेडच, मानसी, कोठारी तथा औराई नदियों पर पुल बनाने का काम आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में हाथ में लिये जाने की संभावना है। जयपुर नगर में न्यू होटल के समीप रेल की लाइन के ऊपर सड़क के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और १९५८-५९ में इसके पूरा हो जाने की आशा है। बहुत से पुलों, पुलियों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों में अन्य सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्य, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा रुपया दिया जाता है और जो चालू वर्ष में चल रहे है, १९५८–५९ में पूरे हो जायेंगे और बनास नदी पर निर्माण कार्य १९५८–५९ में आरम्भ होने की सम्भावना है।

८१. भवन निर्माण कार्यों का भी भारी कार्यक्रम है। १९५८–५९ में इस पर करीब २ करोड़ रुपये खर्च किये जाने की सम्भावना है।

८२. १९५८–५९ में शहरी जलप्रदाय योजनाओं पर ६५ लाख रुपया तथा देहाती जलप्रदाय योजनाओं पर २० लाख रुपया खर्च करने का प्रस्ताव है। पानी के नलों के सुधार पर, संछिद्रों (Bore Holes) पर तथा पानी के मीटर खरीदने आदि पर ६ लाख रुपये खर्च किये जाने की प्रत्याशा है।

८३. शिक्षा के अन्तर्गत, चालू योजनाओं के अलावा ये कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे : (१) एक अध्यापक वाले १००० प्राथमिक विद्यालय खोलना; (२) ५०० प्राथमिक पाठशालाओं को बुनियादी पाठशालाओं में बदलना; (३) ५० प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक स्तर तक बढ़ाना तथा, (४) १० माध्यमिक पाठशालाओं को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाना। टैक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में १९५७-५८ में एक पोलीटेक्निक स्कूल खोला गया था। एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए गुंजाइश बढ़ाई गई थी और जुलाई १९५७ से माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स भी आरम्भ किया गया था। १९५८–५९ में सरकार का विचार एक दूसरा पोलीटेक्निक स्कूल अजमेर में खोलने का तथा पिलानी स्थित बिड़ला इंजीनियरिंग कॉलेज को उसके विस्तार के लिए सहायता देने का है। जोधपुर स्थित एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम चालू करने की संभावना के अन्वेषण का विचार है। १९५८–५९ में सरकार दो वर्ष वाले डिग्री कोर्स को तीन वर्ष

Page No.15

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वाले डिग्री कोर्स में बदलने की योजना शुरू करने की सोच रही है। अतः केवल दो कॉलेजों में विज्ञान सम्बन्धी साज सामग्री उपलब्ध कराने के सिवाय कोई अन्य विस्तार कार्यक्रम हाथ में लेना सम्भव नहीं होगा।

८४. चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रम का उद्देश्य उपचारमूलक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना तथा उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के लिए और विशेषकर ग्राम निवासियों के लिए उत्तरोत्तर अधिक सुलभ करना है। आयुर्वेदिक तथा चिकित्सा की अन्य देशी पद्धतियों का अनुमोदन करने के अलावा सरकार राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगासन की क्रियाओं को भी प्रोत्साहन दे रही है।

८५. खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्रियात्मक उपाय अपनाए गये हैं। भील क्षेत्रों में खादी के उत्पादन एवं ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एक कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। पिछले वर्षों के तथा चालू वर्ष के खादी उत्पादन के आंकड़ों को देखने पर पता चलेगा कि इस क्षेत्र में राजस्थान का देशभर में प्रमुख स्थान है।

८६. भूदान आन्दोलन भी राज्य में संतोषजनक प्रगति कर रहा है।

८७. आवास व्यवस्था की समस्या पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। धीरे धीरे कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाये जा रहे हैं। जहां कहीं उपयुक्त प्रशासकीय इमारतें मौजूद नहीं हैं वहां इस प्रकार की इमारतें बनाने का कार्यक्रम भी चालू है। आयोजन के कार्यक्रम में सम्मिलित कम वेतन पाने वालों की आवास-व्यवस्था योजना के अन्तर्गत गृह-निर्माण ऋण देने के लिये विशेष प्रावधान के अलावा सरकारी सेवकों को गृह-निर्माण अग्रिम देने की सुविधा, जो कई वर्षों से विद्यमान है, जारी रखी जा रही है। इससे बहुत से सरकारी सेवक अपने निजी मकान बनाने में समर्थ हुए हैं।

८८. एक और भी बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, सरकार जानती है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन एक ही वर्ग के कर्मचारियों के परिलाभों में विषमता मौजूद है। इस राज्य में १ मार्च सन् १९५६ से वेतन श्रेणियां युक्तियुक्त की गई थीं और वेतन श्रेणी में आगामी प्रक्रम पर वेतन स्थिर करने के अलावा २५० रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वालों को एक और संवृद्धि दी गई थी। २१० रु० प्रति मास तक पाने वाले नॉन-गजेटेड सरकार सेवकों की संतान को ट्यूशन फीस में विशेष रियायत भी दी गई थी। जिन सरकारी कर्मचारियों का वेतन १०० रु० से अधिक न हो उनके महंगाई भत्ते में १ अप्रेल, १९५७ से ५ रु० की एतदर्थ बढ़ोतरी भी की गई थी। इन सब उपायों के कारण लगभग १५० लाख रु० प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय बढ़ गया है, इसके अलावा और भी राहत देने के लिये यह तय किया गया है कि ४०० रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकार सेवकों को आधा महंगाई भत्ता वेतन का अंश मानने की रियायत दी जाय।

८९. राष्ट्रीय विकास परिषद् ने केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त कर-आरोपण के लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं। पुनर्गठित राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित ११ करोड़ के लक्ष्य मध्ये हमने जो उपाय

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अपनाये हैं उनसे द्वितीय योजना की पंचवर्षीय अवधि में करों द्वारा ८ करोड़ रुपया प्राप्त होगा। १९५६-५७ में ८४ लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले में वास्तविक वसूलियां ७५ लाख रुपये की हुई। १९५७-५८ में १०५ लाख के अनुमानों के मुकाबले में हमें प्रत्याशा है कि हम १०० लाख रुपया वसूल कर सकेंगे। १०५ लाख रुपये के कर-आरोपण प्रस्तावों में से जो प्रत्याशित वसूलियां सिद्ध नहीं हुई हैं वे ये हैं : सुधार शुल्क २० लाख रुपये; मनोरंजन कर-३ लाख रुपये; पुराने क्षेत्रों में सिंचन शुल्क-५ लाख रुपये। बिक्री कर, राज्य आबकारी कर तथा गाड़ियों पर कर की मदों में वास्तविक वसूलियां अनुमानों से अधिक होने की सम्भावना है। चूंकि नासिक प्रेस मनोरंजन कर के नये स्टाम्प्स छाप कर नहीं दे सका, इसलिये विधान सभा द्वारा पारित विधान लागू करना सम्भव नहीं हो पाया। अब नया अधिनियम १ अप्रेल, १९५८ से लागू हो जायेगा क्योंकि इस तारीख तक नासिक प्रेस से नये स्टाम्पस की आपूर्तियों की आशा है। पुराने क्षेत्रों में सुधार शुल्क की वसूली में तथा सिंचन शुल्क की उगाही में कोई प्रगति नहीं हो सकी। इन उपायों को आगामी वर्ष में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। आयोजना आयोग वाणिज्यिक फसलों पर उप-कर वसूल करने का सुझाव देता रहा है। वित्त जांच आयोग ने इस प्रश्न पर गौर किया है और यह वैकल्पिक प्रस्ताव किया है कि वाणिज्यिक फसलों पर वसूल किये जाने वाले सिंचन शुल्क की वर्तमान दरों में एक रुपया प्रति एकड़ की वृद्धि कर दी जाय। इस वसूली के ७ लाख रुपये, तथा विभिन्न क्षेत्रों में सिंचन शुल्कों को युक्तियुक्त बनाने के फलस्वरूप प्राप्तियों में वृद्धि के ८ लाख रुपये जोड़ने के बाद यह प्रत्याशा है कि सिंचन की मद में १५ लाख रुपये भी सुधार शुल्क के हिसाब में जोड़ने पर सिंचन शुल्क तथा सुधार शुल्क की कुल वसूली ३० लाख रुपये तक पहुंच जायेगी। मनोरंजन कर से वसूल होने वाली ३ लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि ८० लाख रुपये के उस लक्ष्य की आंशिक पूर्ति गिनी जा सकती है जो आयोजना आयोग ने १९५८-५९ में अतिरिक्त कर-आरोपण के लिए निर्धारित किया है। ४७ लाख की बाकी रकम इकट्ठा करने के लिए नीचे लिखे उपायों के अवलम्बन का प्रस्ताव है :—

१. आबकारी कर की दरें बढ़ायी जायेंगी और इनसे १५ लाख रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्रत्याशा है।

२. गत वर्ष नवम्बर में दिल्ली में वित्त मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसके निर्णय के अनुसार निर्दिष्ट विलास सामग्रियों पर बिक्रीकर की दरों में समानता लाना आवश्यक है। हमको भी अखिल भारतीय नीति के साथ चलना है। कुछ अन्य वस्तुओं पर बिक्री कर की दरें बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

३. कुछ खनिज पदार्थों पर रॉयल्टी की दरें किंचित बढ़ाकर खानों के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव है।

६०. १ अप्रेल १९५७ को हमारे कोष में १५,२१,५१,३९३ रु० थे (सरकारी प्रॉमिसरी नोट आदि के रूप में १२,८१,५५,९५०, रु० तथा हिस्सों के रूप में २,३९,९५,४४३ रु०)। पौंड पावने की रकम इसमें शामिल नहीं है।

६१. १ अप्रेल १९५८ को विनियोजन की प्रत्याशित राशि १४,९२,७९,९९४ रु० है (सरकारी प्रॉमिसरी नोटों आदि के रूप में

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

१२,४२,६०,८२० रु० तथा २,५१,१६,१७४ रु० हिस्सों में)।

९२. सरकारी प्रॉमिसरी नोटों की मद में ३८,३६,१०० रु० की कटौती विक्री ऋण के मोचन के कारण हुई है।

९३. हिस्सों की मद में ११,२३,७३१ रु० की बढ़त सहकारी समितियों तथा नेशनल कन्स्ट्रक्शन लि० में विनियोजन के कारण हुई है। न्यस्त निधियों की कुल रकम २६,६७,०८५ रु० है। पूरा विवरण स्मरण-पत्र में दिया गया है।

९४. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अधिविकर्षित रकम ३१ मार्च, १९५७ को १०६२.८३ लाख रु० थी। इस संबंध में बैंक के साथ हमारा स्थायी ठहराव है। सारे वर्ष में इस राशि का आंकड़ा लगभग शिखर पर बना रहा। आशा है कि केन्द्रीय सहायता, ऋणों व सहायक अनुदानों के फलस्वरूप यह आंकड़ा चालू वर्ष की अन्तिम तारीख को नीचे लाया जा सकेगा।

९५. केन्द्र से उधार ली गई रकमों का कुल जोड़ ३१ मार्च, १९५८ को ६२.७४ करोड़ होने की प्रत्याशा है जिसमें ४.१ करोड़ रु० सहायता व पुनर्वास के ऋण के हैं और २६.२८ करोड़ रुपये भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं के लिए हैं।

९६. अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं आपका विशेष ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अल्प बचत योजना के द्वारा राज्य के आन्तरिक साधन जुटाने के लिए हम सबको मिल कर प्रयत्न करने की अनिवार्य आवश्यकता है। इस योजना को व्यापक बनाना जरूरी है और राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी बचत इस योजना में लगावें, चाहे वह रकम कितनी ही छोटी क्यों न हो।

९७. जैसा कि मैं प्रारम्भ में बता चुका हूं, मुद्रा सम्बन्धी कठिन परिस्थितियों के कारण हमको सलाह दी गई थी कि इस वर्ष सार्वजनिक ऋण न लें, बल्कि सारी शक्ति अल्प बचत अभियान में लगावें। बजट अनुमानों में हमने सार्वजनिक ऋण से धन प्राप्त करने के लिए २५० लाख रुपये की रकम जमा खाते में रखी है, किन्तु अल्प बचत योजना द्वारा संग्रहीत धन-राशि में से हमारे हिस्से की गत वर्ष की बकाया रकम प्राप्त होने के फलस्वरूप तथा इस वर्ष के हिस्से की नियमित अदायगी के फलस्वरूप बिना किसी कठिनाई के काम चलाना सम्भव हो जायेगा। इस वर्ष अल्प बचत योजना के अन्तर्गत रुपया वापस लेने अथवा योजना के सर्टिफिकेट भुनाने का क्रम असाधारण रहा है। अतः सारे प्रयत्नों के बावजूद भी शायद संग्रह की शुद्ध रकम २०० लाख रुपये से ऊपर नहीं जा सकेगी। फिर भी गत वर्ष २११ लाख की शुद्ध राशि मिली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्प बचत योजना के महत्व के प्रति जनता की चेतना जाग्रत हो गई है, परन्तु अब तक का अंशदान किसी प्रकार भी आशाप्रद अथवा संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। छोटी बचतों के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश है और हमारी विकास योजनाओं की सफलता अल्प बचत योजना के अन्तर्गत साधन जुटाने के हमारे प्रयत्नों पर निर्भर है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से हार्दिक अपील करता

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हूं कि इस कार्य में वे पूरे सहयोग का हाथ बढावें। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि किफायतसारी की आदत पैदा होने के अलावा इस बचत योजना से आकर्षक दरों पर ब्याज मिलता है और साथ ही आयोजन के कार्य-क्रमों को पूरा करने के राष्ट्रीय प्रयास में योगदान का अवसर प्राप्त होता है। सरकार इस कार्य के लिए नियुक्त संगठन का और भी विस्तार करके एक राज्यव्यापी अभियान प्रारम्भ करना चाहती है। इस सत्र का कर्तव्य है कि अल्प बचत का सन्देश राज्य के कोने कोने में पहुंचा दें और योजना को पूर्णतया सफल बनाने का तन-मन से प्रयत्न करें।

६८. आगामी वर्ष में अल्प बचत द्वारा ३ करोड़ रुपये की शुद्ध धन-राशि संग्रह करने का अनुमान है, जिसका दो तिहाई भाग, अर्थात् दो करोड़ रुपया, हमारे हिस्से के रूप में हमको मिलेगा। यह लक्ष्य बहुत ऊंचा नहीं है और यदि हम इसे प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जायं तो यह काम कठिन भी नहीं है। इसके अलावा हमने २.५ करोड़ रुपया सार्वजनिक रूप से उधार लेने की भी व्यवस्था की है। इन दोनों मदों को मिलाकर ४.५ करोड़ की रकम जमा खाते में दिखाई गई है।

६६. हम अपने अन्तिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के अभिप्राय से, समाज सेवाओं तथा सार्वजनिक हित व कल्याण के विभागों पर किये जाने वाले व्यय के आंकड़ों का हमने विश्लेषण किया है और मैं कह सकता हूं कि हम धीरज के साथ निश्चित प्रगति कर रहे हैं। हमें आशा है कि आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में जिन कार्यक्रमों को शामिल किया गया है उनके पूर्ण होने पर हमारी उपलब्धियों की संख्या काफी बढ़ जायेगी।

१००. समाज सेवाओं पर होने वाला व्यय, जो प्रथम योजना के प्रारम्भ में ४५४.६१ लाख रुपये था, १६५७-५८ के संशोधित अनुमानों में बढ़कर १२५८.६७ लाख रुपया हो गया है और आगामी वर्ष के प्रस्तावित अनुमानों में १४२८.४३ लाख तक बढ़ गया है। सार्वजनिक हित व कल्याण के विभागों के सम्मिलित आंकड़े भी अत्यन्त उत्साहवर्द्धक चित्र प्रस्तुत करते हैं। जहां १६५१-५२ में वास्तविक व्यय ७५६.५६ लाख का हुआ था, वहां इसके मुकाबले में गत वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह रकम २६६२.३५ लाख हो गई है। १६५८-५६ के लिए जो बजट प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं उनमें यह रकम ३०८०.५० लाख है। इतना करते हुए भी सरकार को इस बात का सदैव भान रहता है कि कल्याणकारी राज्य के ध्येय की प्राप्ति के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों के उदारतापूर्ण तथा सतत सहयोग, सहायता व सदिच्छा को साथ लेकर हम निश्चय ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

१०१. अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने शान्ति और धैर्य के साथ मेरा भाषण सुना।

जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक मध्यान्ह पश्चात् २ बज कर ८ मिनट पर मंगलवार, दिनांक ११ मार्च, १६५८ को ११ बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १० मार्च, १९५८)

	स्कम्भ
विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण, १९५८-५९ का उपस्थापन	२७९५

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने आज मध्यान्होत्तर १.०८ बजे राजस्थान राज्य का विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९५८-५९ उपस्थापित किया।

	स्कम्भ
मंगलवार, ११ मार्च, १९५८ की कार्य सूची	

राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर खण्डशः विचार-विमर्श।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १० मार्च, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१७९५	२	मध्यान्ह १०.८ वजे	मध्यान्ह १-०८ बजे
,,	अन्तिन पंक्ति	ना अब तक	उठाना अब तक
२७९९-२८००	शीर्ष पंक्ति	-२७ फरवरी, ५८-	-१० मार्च, ५८-
२८००	अन्तिम से ७ वीं	गौर कके वित्त अयोग	गौर करके वित्त आयोग
२८०६	,, ,, ६ ठी	यह है [illegible]त्य शित सीमा	यह है कि प्रत्याशित सीमा
२८०९	४	[illegible]न्त होने वाली आथिक	प्राप्त होने वाली आर्थिक
२८११	२४	[illegible]था भ्रष्ढाचार निरोध	तथा भ्रष्टाचार निरोध
२८१७	४	[illegible] अविशेष	शुद्ध अधिशेष
२८१८	अन्तिम से ५ वीं	प्रतिशत क्रमशः १७.,१	प्रतिशत क्रमशः १७.१५,
२८२१-२८२२	शीर्ष पंक्ति	-१० माच, ५८-	-१० मार्च, ५८-
२८२२	,,	[२२२४	[२८२४
,,	अन्तिम से ८ वीं	गय है कि	गया है कि
२८२५	,, ,, ५ वीं	शुल्क की वतमान दरों	शुल्क की वर्तमान दरों